

मुख्य सचिव हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 549-5 जी.एस. 1-77-3961 दिनांक 22 फरवरी, 1977 की प्रति।

विषय:— स्थानान्तरण संबंधी नीति में तबदीली।

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान पत्र क्रमांक 5440/4 जी.एस. 1-72/27403 दिनांक 15/18 सितम्बर, 1972 की और आकर्षित करूँ तथा कहूँ कि अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एक ही स्टेशन पर एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरण पर प्रतिबंध नहीं होगा। अतः इस प्रकार के स्थानान्तरण वह अधिकारी कर सकेंगे जो कि पहले सक्षम थे।

हस्त/—

उप सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

इसकी एक प्रति सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार सभी प्रशासकीय सचिव हरियाणा सरकार।